# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)**

**अपील संख्या : 2022/151**

1. फकरूद्दीन आत्मज श्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कोट, मैन बाजार, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. बृजमोहन आत्मज श्री रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. जगदीश आत्मज रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

——अपीलान्टगण

**बनाम**

1. मोहनलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. रामगोपाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. भंवरलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
4. जितेन्द्र सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह जाति सिक्ख निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
5. दीपेन्द्र सिंह हाडा आत्मज शिवराज सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
6. श्रीमती बीना सिंह भदोरिया पत्नी मुकेश सिंह भदोरिया जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
7. श्रीमती धूली बाई पत्नी ग्यारसी लाल जाति माली निवासी कुन्हाडी, कोटा (राज0)
8. उप पंजीयक प्रथम, नयापुरा, कोटा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री केसरीलाल बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01, 02 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः 29.09.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 73/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 व 02 द्वारा जर्ये अभिभाषक वाद वास्ते घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण कम 01 लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

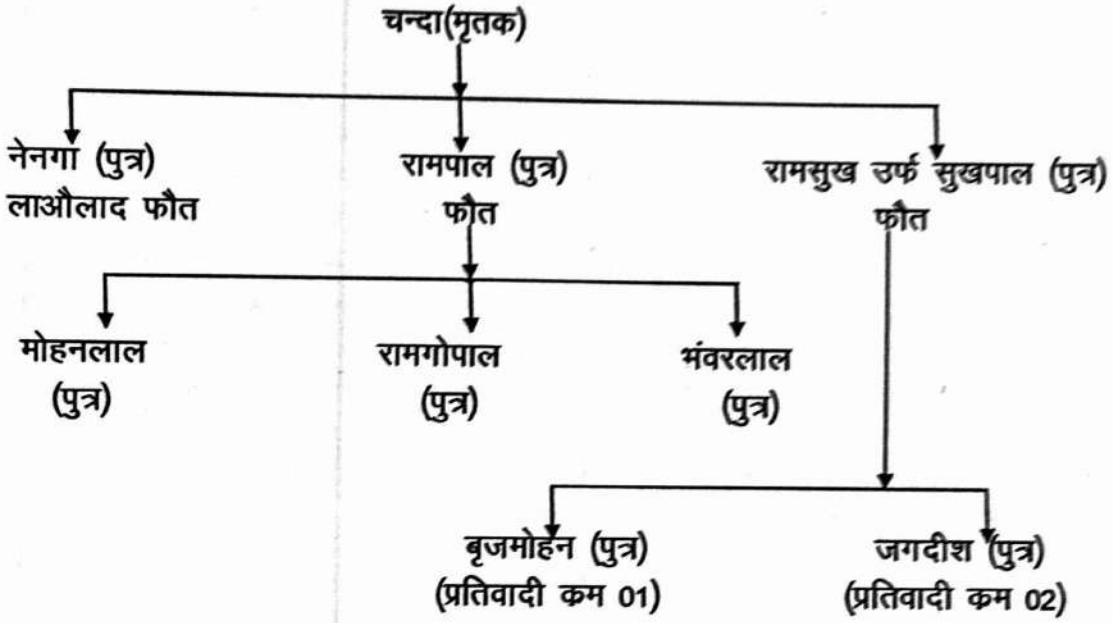


वादीगण के पिता रामपाल जी व प्रतिवादी क्रम–1 व 2 के पिता रामसुख आपस में सगे भाई है तथा उनके पिता स्वर्गीय चन्दा जी थे तथा उनके एक भाई नेनगा था, जो लाऔलाद फौत हो गया था, जिसका हिस्सा भी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के पिता के हिस्से में आया था। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम –1 लगायत 3 के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी हाल खाता संख्या नया 386 तथा पुराना 366 के खसरा नम्बर 1606 की रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1642 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 की रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1662 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1663 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 5 किता की रकबा 4.1400 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कंथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है, जिसमें वादीगण का 7 / 16 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 3 का 1 / 16 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/2 हिस्सा शामलाती दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। जो जमाबंदी संम्वत् 2073 से 2076 से स्पष्ट है। इसके अलावा ग्राम कैथून पटवार हल्का कैथून, भू०अनि0निरीक्षक क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के खाता संख्या नया 388 व पुराना 368 के खसरा नम्बर 1706 की रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 1710 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1711 की रकबा 0.46 हैक्टर कुल 3 किता की रकबा 1.4400 हैक्टर स्थित चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादी क्रम–3 का 1 / 32 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी क्रम–8 का 1/2 हिस्सा एवं

वादीगण का 7/32 हिस्सा निहित चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात में से हाल खसरा नम्बर 1662 की रकबा 0.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 1663 की रकबा 0.4900 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा वादीगण के दादा स्वर्गीय चन्दा जी की खातेदारी में दर्ज रही है और उनके स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। वादीगण के दादा स्वर्गीय चन्दा जी के स्वर्गवास के बाद उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खाता संख्या नया 366 पुराना 366 के खसरा नम्बर 1606 की रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1642 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 की रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 1662 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1663 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 5 किता की रकबा 4.1400 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कैथून, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा स्थित भूमि का आज तक शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है, जिस पर प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 बिना बंटवारे किये ही खसरा नम्बर 1662 की 1.4900 हैक्टर जो मौके की आराजी है, जो सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की आराजियात में मुख्य तथा आगे की ओर आ रही है, जिसे प्रतिवादी क्रम–4 को बेचान करना चाहता है। उक्त आराजी का प्रतिवादी क्रम–1 ने प्रतिवादी क्रम–4 के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित करवा दिया है तथा वह उक्त आराजी को जरिये विक्रय पत्र बेचान करना चाहता है जबकि सम्पूर्ण आराजियात शामलाती खाते की आराजी है, जिसका बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। परंतु प्रतिवादी क्रम–1, मुख्य रोड़ की आराजी जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है, परंतु फिर भी वह प्रतिवादी क्रम–4 को उक्त आराजी बेचान करना चाहते है तथा मौके की जमींन पर कब्जा करवाना चाहते है। इस सम्बंध में प्रतिवादीगण ने प्रोपर्टी डीलरों से बातचीत कर ली है, जिसमें से प्रतिवादी क्रम–4 एक व्यक्ति है, जो उक्त आराजी को खरीद करना चाहता है, उक्त आराजी का इकरारनामा भी प्रतिवादी क्रम–4 ने अपने पक्ष में करवा लिया है तथा एडवांस की राशि प्राप्त कर ली है। उक्त आराजी मैन रोड़ की मूल्यवान आराजी है, उक्त आराजी में से शेष बची हुई भूमि का रास्ता है, उक्त आराजी का बेचान हो जाने के पश्चात् वादीगण को शेष बची हुई आराजी पर कृषि कार्य करने, कृषि यंत्र ले जाने तथा खाद बीज ले जाने में परेशानी होगी तथा रास्ता बंद हो जाने पर शेष पीछे की बची हुई भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, जिससे वादीगण की आजीविका समाप्त हो जायेगी और शेष बची हुई भूमि कृषि योग्य नहीं रहेगी। चूंकि उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की आराजी का आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। खसरा नम्बर 1662 की रकबा 1.4900 हैक्टर में वादीगण का भी हिस्सा है, जिसे प्रतिवादीगण बेचान कर रहे है जबकि उक्त भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उसके किसी भी हिस्से को बेचान नहीं किया जा सकता है। उक्त कृषि आराजी स्वर्गीय चन्दा जी के संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि आराजी रही है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के जन्म से ही हक व अधिकार निहित रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायकी कृषि भूमि रही है, जिसमें सभी सहदायकियों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है और उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायकी कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 शांति पूर्वक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है,

वादीगण ने प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 से कई दफा उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का बंटवारा करने तथा बंटवारे अनुसार अलग–अलग खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया, किंतु प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया तथा प्रतिवादीगण ने यह कहा कि हम उक्त आराजी का बेचान करना चाहते है और कानूनी रूप से बंटवारे के लिये कहने पर मना कर दिया, इसलिये वादीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से की आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा किया जाये तथा उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अलग–अलग खाते दर्ज किया जावे। वाद वर्णित उक्त कृषि आराजियात वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 की सहदायकी कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के जन्म से ही समान हक व अधिकार निहित चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 अकेले का उक्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम मात्र दिखावटी है, जिससे प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 को वादीगण के जन्म से प्राप्त कानून सम्मत हक व अधिकारों के विरूद्ध उक्त कृषि आराजियात को बेचान व खुर्द–बुर्द करने, वादीगण को उनके कानून सम्मत हक व हिस्से से वंचित करने व कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर हक हिस्से से बेदखल करने का कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने दिखावटी नाम का फायदा उठाकर वादीगण के कब्जे काश्त वाली मुख्य रोड़ पर स्थित तथा कीमती आराजी जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि आराजियात में से बिना किसी हक व अधिकार के ही बिना बंटवारे किये ही बेचान का इकरारनामा प्रतिवादी क्रम–4 के साथ कर लिया है और एडवांस राशि प्राप्त कर ली गई है और शेष राशि प्राप्त कर भूमि के विक्रय–पत्र का पंजीयन करवाने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 की उक्त कार्यवाही अवैध व अनाधिकृत है और उक्त कार्यवाही एवनिशियोएवोईड है एवं दिखावटी है।

वादीगण ने दिनांक 27.06.2019 को प्रतिवादी क्रम–1 को व प्रतिवादी क्रम–4 को भूमि बेचान करने व खरीद नहीं करने हेतु कहा और अनुरोध किया कि भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है, जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित चला आ रहा है, भूमि को बेचान करने का प्रतिवादी क्रम–1 को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पूर्व में भी प्रतिवादी क्रम–1 ने पैतृक अविभाजित हिन्दू परिवार की भूमि वादीगण की सहदायकी की भूमि को बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया है और अब वादीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि को बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी क्रम–1 को कोई अधिकार नहीं है। इस पर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 4 ने वादीगण को धमकी दी कि भूमि तो बेचान होकर रहेगी। चूंकि भूमि प्रतिवादी क्रम–1 के नाम खाते में दर्ज है, जिसे बेचान करने से नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार प्रतिवादीगण भूमि को अवैध व अनाधिकृत तरीके से बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है और भूमि के बेचान का पंजीयन तुरन्त ही करवा देना चाहते है। भूमि में वादीगण का प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के साथ–साथ समान हक अधिकार निहित है। चूंकि उक्त आराजी हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण का भी हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी का विधिवत् रूप से बंटवारा करवाये बिना ही भूमि को बेचान करने पर आमादा है, इस कारण यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 4 सम्पूर्ण पैतृक भूमि का बेचान कर देगें और वादीगण को अपने हक

अधिकारों से वंचित कर देगें। वादीगण के समक्ष आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जायेगी और वादीगण को दर–दर की ठोकरे खाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। वादीगण को उक्त उपर वर्णित भूमि से वंचित कर देने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 4 उक्त भूमि को बाला–बाला ही बेचान करने पर आमादा हो रहे है सम्पूर्ण बाद वर्णित पैतृक / सहदायकी भूमि को कानूनी कार्यवाही करते हुये विभाजन करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ने वादीगण से कहा कि खसरा नम्बर 1662 की रकबा 1.4900 हेक्टर भूमि उनके भी खाते दर्ज है, जिसे बेचान करके रहेगें और प्रतिवादी क्रम–1 ने भूमि का विभाजन करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और प्रतिवादी क्रम–1 ने वादीगण को धमकी दी कि वह मुख्य सड़क की ओर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1662 की रकबा 1. 4900 हैक्टर को बेचान करके रहेगें। इस प्रकार प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वाद वर्णित भूमि को बेचान कर ट्रांसफर करते हुये खुर्द–बुर्द करते हुये वादीगण को सम्पत्ति में निहित हक व अधिकारों में बंटवारा किये बिना ही वंचित कर देना चाहते है। चूंकि उक्त कृषि आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पुश्तैनी कृ षि आराजी है, जिसमें वादीगण का प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के साथ जन्म से ही हक व अधिकार निहित चला आ रहा है और वादीगण उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजियात में बहैसियत खातेदार शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है और प्रतिवादी क्रम–1 के रिकॉर्ड में नाम होने के आधार पर खसरा नम्बर 1662 की भूमि के सम्बंध में किया गया बेचान का इकरारनामा वादीगण के हक व अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य निष्प्रभावी, अनाधिकृत व प्रभावहीन है और प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण बाद वर्णित उक्त शामलाती कृषि आराजियात के बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है। कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से वाद वर्णित कृषि भूमि के 7 / 16 हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित करवावे, तदनुसार इंद्राज दुरूस्ती करवाते हुये राजस्व रिकॉर्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी क्रम–1 के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम– 2 व 3 का नाम बतौर खातेदार समभाग से दर्ज करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का मीट एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाते हुये अपना 7 / 16 हिस्सा पृथक से प्राप्त करें और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि आराजियात पर वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें और उक्त कृषि आराजियात को बेचान व खुर्द–बुर्द न करें। 13. कानूनन प्रतिवादी क्रम–9 व 10 राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किंतु प्रस्तुत वाद अरजेन्ट नेचर व इमिजियेट रिलीफ का होने से धारा 80 जा०दी० मियादी दो माह का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है, जिसके कारण नोटिस से मुक्ति की अनुमति हेतु धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वादग्रस्त कृषि आराजी में 7/16 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार घोषित करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने व बंटवारा करने का निवेदन करने, किंतु प्रतिवादीगण द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं देने और बिना विभाजन के ही उक्त कृषि आराजी को बेचान व खुर्द–बुर्द करने का प्रयास करने की धमकी दिनांक 27.06.2019 को देने एवं खातेदारी की घोषणा व विभाजन से इंकार करने तथा खसरा नम्बर 1662 की कृषि आराजी गलत व गैर कानूनी रूप से बेचान करने की धमकी देने तथा शेष प्रतिवादी

क्रम–5 लगायत 8 द्वारा बंटवारा करने से इंकार करने पर वाद कारण पैदा हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे –कि वाद–पत्र की मद नं0 2 में वर्णित कृषि आराजी हाल खाता संख्या नया 386 तथा पुराना 366 के खसरा नम्बर 1606 की रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा 1–49. नम्बर 1642 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 की रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1662 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1663 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 5 किता की रकबा 4.1400 हैक्टर वाके ग्राम कैथून. पटवार हल्का कैथून, भू०अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कैथून, तहसील लाडपुरा. जिला कोटा में स्थित है, जिसमें वादीगण का 7 / 16 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/2 हिस्सा शामलाती दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। जो जमाबंदी संम्वत् 2073 से 2076 से स्पष्ट है। इसके अलावा ग्राम कैथून, पटवार हल्का कैथून, भू0अभि0निरीक्षक क्षेत्र कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खाता संख्या नया 388 व पुराना 368 के खसरा नम्बर 1706 की रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1710 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1711 की रकबा 0.46 हैक्टर कुल 3 किता की रकबा 1.4400 हैक्टर स्थित चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम–3 का 1 / 32 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम–5 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा और प्रतिवादी क्रम–8 का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण का 7/32 हिस्सा निहित चला आ रहा है, का वादीगण को 7/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे और तदनुसार इंद्राज दुरूस्ती करते हुये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अलग से बंटवारा करते हुये अच्छे में से अच्छी व बुरे में से बुरी आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार किया जाकर पृथक से लगान कायम किये जाने और प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री का नक्शा बनाकर प्रत्येक का हिस्सा व कब्जा दिलवाया जावे और तदनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम, नामान्तकरण खोलकर दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद–पत्र की मद नं0 2 में वर्णित कृषि आराजियात हाल खाता संख्या नया 386 तथा पुराना 366 के खसरा नम्बर 1606 की रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1642 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1643 की रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 1662 की रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1663 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 5 किता की रकबा 4.1400 हैक्टर वाके ग्राम कैथून पटवार हल्का कैथून भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा एवं खाता संख्या नया 388 व पुराना 368 के खसरा नम्बर 1706 की रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1710 की रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1711 की रकबा 0.46 हैक्टर कुल 3 किता की रकबा 1.4400 हैक्टर पर वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें और न ही बेदखल करें और वादीगण को उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात पर शांति पूर्ण रूप से काश्त करने देवे।। वादीगण की उक्त खसरा आराजी की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी प्रतिवादीगण न करें साथ ही प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 8 उक्त कृषि आराजी को बेचान, दान, रहन, वसीयत व अन्यथा खुर्द–बुर्द न करे साथ ही प्रतिवादी क्रम–9, प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय–पत्र का पंजीयन न करें साथ ही वाद–पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि आराजियात के सम्बंध में प्रतिवादी

क्रम–1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह उक्त मद में वर्णित भूमि को बेचान, रहन, दान इत्यादि करते हुये खुर्द–बुर्द ना करें और मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि भूमि का बंटवारा होने तक प्रतिवादीगण स्वयं तथा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रकार का कोई हित अंतरित नहीं करें तथा वादीगण को किसी भी वाद वर्णित भूमि एवं उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के किसी हिस्से में दखलंदाजी न करें। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करावे वादीगण को उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे तथा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न न करें और ना ही उक्त भूमि को आगे किसी प्रकार से रहन, बेचान इत्यादि करते हुये किसी तृतीय व्यक्ति का हित सृजित ना करें। प्रतिवादी क्रम–9 व 10 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 8 द्वारा वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध वाद वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज विक्रय–पत्र इत्यादि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे किसी भी विक्रय–पत्र सम्बंधी दस्तावेज का पंजीयन ना करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो उक्त वाद के तहत वादीगण के पक्ष में उचित हो उसे वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 द्वारा वादी रेस्पो0 01 व 02 का वाद पत्र स्वीकार किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व वादी के अलावा अन्य अप्रार्थीगण को जाप्ता दीवानी के अनुसार सर्विस नहीं कराकर एक तरफा आदेश पारित किया है जो निर्णय

पारित किया है वह अपूर्ण तथा वेग है जो निर्णय की तारिफ में नहीं होने से नलिटी है अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बटवारा रिपोर्ट के लिये मौके पर आने पर जानकारी हुई जिसके बाद नकल प्राप्त की जो दिनांक 28.06.2022 को प्राप्त हुई तारीख जानकारी से अपील अवधि मध्य है तथा निर्णय दिनांक 27.10.2021 से दिनांक 28.06.2022 तक की अवधि कण्डोन होने योग्य है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर कर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 27.10.2021 से दिनांक 28.06.2022 की अवधि कण्डोन फरमाये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा स्वीकार किया गया। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करनें में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में संयुक्त खातेदारी की भूमि मे प्रत्येक सह खातेदार का बिना हिस्सा निर्णित किये प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जो प्रारम्भिक डिक्री की तारीफ मे नहीं आती है तथा बिना हिस्सा निर्धारित किये अंतिम डिक्री किस प्रकार जारी हो सकती है जिससे निर्णय शून्य है तथा प्रभावशील नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिवादी नम्बर 5 से 8 का वादग्रस्त भूमि से क्या सम्बन्ध है तथा इन्हे किस लिये वादी ने पक्षकार बनाया है तथा उनके विरूद्ध वाद का निर्णय क्या रहा स्पष्ट नहीं किया है निर्णय अपूर्ण व वेग है जो निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्रतिवादीगण को जाप्ता दीवानी के अनुसार आदेश 5 नियम 10 के अनुसार समन जारी नही कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर वाद में प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई व शहादत का मौका दिये प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में भारी त्रुटि की है जबकि प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करना तथा सम्मन की तामिल होना आदेशात्मक है जिसके अभाव में निर्णय शून्य है तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अपीलान्टगण व वादी के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को जाप्ता दीवानी के अनुसार सर्विस नहीं कराकर एक तरफा आदेश पारित किया है जो निर्णय पारित किया है वह अपूर्ण तथा वेग है जो निर्णय की तारीफ मे नहीं होने से नलिटी है अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी सर्व प्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बटवारा रिपोर्ट के लिये मौके पर आने पर, जानकारी हुई जिसके बाद नकल प्राप्त की जो दिनांक 28/6/22 को प्राप्त हुयी तारीख जानकारी से अपील अवधि मध्य है तथा निर्णय

दिनांक 27.10.2021 से नकल प्राप्त करने की अवधि कण्डोन होने योग्य है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

9. उक्त अपील में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01, 02 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील के चरण कम–2 में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का बिना हिस्सा निर्णित किये प्राम्भिक डिक्री पारित करने के कथन अंकित किये है वह बेबुनियाद है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट / वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है जो शामील पत्रावली है व अन्य दस्तावेज की विवेचना करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में क्लीयर करते हुऐ अपने निर्णय की पृष्ठ संख्या–3 के कम 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि वादीगण विवादित आराजी में सहखातेदार है तथा विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में सहखातेदारान ने प्रत्येक का पृथक–पृथक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में गलत तथ्य अंकित किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल सहखातेदारान का खाता पृथक–पृथक करने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। वादी / रेस्पोडेन्ट्स ने अपने वाद पत्र में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को सही माना है तथा अपीलान्ट ने भी दिनांक– 03.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति देने के बाद बादी के बाद पत्र का कोई खण्डन अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय होने तक नहीं किया तथा अपीलान्ट ने अपने अपील मेमो में हिस्से के बारे में किसी प्रकार का कोई विवाद सम्बन्ध भी तथ्य भी अंकित नही किये है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के बारे में रेस्पोइन्ट व अपीलान्ट के मध्य कोई विवाद नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमो में प्रतिवादी कम 5 से 8 के बारे में न्यायिक निर्णय में कोई विवेधन नही करने के बारे में अंकित किया है इससे अपीलान्ट के हक व अधिकार व हिस्से से कोई दूर–दूर तक सम्बन्ध नही है, यह मात्र न्यायालय को मिस्गाईड करने के उद्देश्य से अंकित किया है। अगर रेस्पोन्ट्स कम 5 से 8 तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार से असंतुष्ट होते तो वह दावा पेश होने से निर्णय होने तक तथा अपील होने तक स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते थे। अपीलान्ट में उनकी आड लेकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को चेलेन्ज करने की चेष्टा मात्र अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ाने के लिए की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट कम 1, 2 व 3 दिनांक– 03.09.2019 को स्वयं उपस्थित होने के पश्चात् दिनांक 28.1.2020 तक उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 27.10. 2021 का निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजो, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड को ध्यान में रख कर ही निर्णय किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की है. निर्णय विधि सम्मत है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक– 27.10.2021 को बहाल रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.09.2019 पर प्रतिवादीगण अपीलांट्स के हस्ताक्षर अंकित है तथा वह व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 28.01.2021 पर स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद की समुचित जानकारी हो गई थी तथा उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट का दौराने बहस एक प्रमुख कथन यह भी रहा है प्रश्नगत निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 27.10.2021 में सहखातेदारों का हिस्सा तक नहीं किया इसलिए यह प्राथमिक डिक्री की तारीफ में नहीं आती। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व रिकार्ड अनुसार सहखातेदारों के जमाबंदी में दर्ज हिस्से को पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की है। हमारे समक्ष प्रतिवादी सं0 5 से 8 की ओर से भी कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं हुआ है। अपीलांट्स द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज, तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उनका हक, अधिकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन से अधिक हो। हस्तगत प्रकरण में अभी केवल प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। अतः बंटवारे के सम्बंध में यदि अपीलांट्स को कोई आपत्ति हो तो वो अपना पक्ष , आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से हमारे मत में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 विधि सम्मत है तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 73/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 यथावत रखा जाता है।

12. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part IV - B

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बहजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 2022/151**

1. फकरुद्दीन आत्मज श्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कोट, मैन बाजार, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. बृजमोहन आत्मज श्री रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. जगदीश आत्मज रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

——अपीलान्टगण

**बनाम**

1. मोहनलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. रामगोपाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. भंवरलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
4. जितेन्द्र सिंह आत्मज गुरुचरण सिंह जाति सिक्ख निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
5. दीपेन्द्र सिंह हाडा आत्मज शिवराज सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
6. श्रीमती बीना सिंह भदोरिया पत्नी मुकेश सिंह भदोरिया जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
7. श्रीमती धूली बाई पत्नी प्यारसी लाल जाति माली निवासी कुन्हाडी, कोटा (राज0)
8. उप पंजीयक प्रथम, नयापुरा, कोटा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

——रेस्पोंडेन्टगण

**प्रार्थना पत्र संख्या: 73/2019**

1. मोहनलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

2. रामगोपाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0

– वादी

बनाम

1. जगदीश आत्मज रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2. बृजमोहन आत्मज श्री रामसुख उर्फ सुखपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3. भंवरलाल आत्मज रामपाल जाति लश्करी निवासी लाडपुर झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
4. फकरूद्दीन आत्मज श्री जमालुद्दीन जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला कोट, मैन बाजार, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
5. जितेन्द्र सिंह आत्मज गुरूचरण सिंह जाति सिक्ख निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
6. दीपेन्द्र सिंह हाडा आत्मज शिवराज सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
7. श्रीमती बीना सिंह भदोरिया पत्नी मुकेश सिंह भदोरिया जाति राजपूत निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास, श्रीराम नगर, डीसीएम, कोटा (राज0)
8. श्रीमती धूली बाई पत्नी ग्यारसी लाल जाति माली निवासी कुन्हाडी, कोटा (राज0)
9. उप पंजीयक प्रथम, कलेक्ट्रर परिसर नयापुरा, कोटा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

–प्रतिवादीगण

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त प्रार्थना पत्र संख्या 73/2019 में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 29.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव, रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 की ओर से श्री केसरीलाल बैरवा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

4. यह डिकी आज तारीख 29.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा